डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(A Government of India Enterprises)
Office: 3rd Floor, Shri Bala Complex, (Opp. Subharti University), Ved Vyaspuri, By Pass Road, NH-58, Meerut-250002, Telefax: 121-2439040

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

No: CPM/MTC/EN/RTI/Vol-VIII Date: 08.12.2021

JGM/Admin (CPIO)
Corporate Office
New Delhi

Sub: Providing information w.r.t original RTI application received under the RTI Act. 2005.

Ref.: JGM/Admin (CPIO) letter No.2021/HQ/ADMIN/RTI-1288 dtd-08.12.2021.

In reference to above, the information of RTI sought by corporate office is given below:

SN	Information Sought	Information provided
1	As stated in aforesaid Gazette that total nine objections have been received and the same have been considered by the Competent Authority accordingly orders have been passed, please provide the copy of nine objections and copy of such orders which was passed by Competent Authority.	This information is given in Annexure-1.
2	Copy of report which was submitted by Competent Authority to central Government in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the Railways Act, 1989.	This information is given in Annexure-2.
3	Please provide the copy complete file No. F. No. 2021/LML-II/12/2/EC/2232 which is mentioned in aforesaid Gazette Notification.	This information is not available at DFCCIL/Meerut unit as this file no. 2021/LML-II/12/2/EC/2175 pertains to ED (LA & SD) Railway Board.

DA: Annexure-1 & Annexure-2.

(Mahavir Singh)
Dy.PM/EL/PIO

Copy to:
1) GM/Co-ord./MTC – For kind information please.
2) GM/MA-EC-III – For kind information & necessary action please.

ANNEXURE-1

रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20क की उपधारा (1) के अन्तर्गत ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर/पूर्वी मालगाडी के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए जनपद–मेरठ, तहसील–सरधना के ग्राम–सकौती में शुगर मिल के पहुंच मार्ग हेतू निर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 3117(अ) नई दिल्ली 02 अगस्त, 2021 को निर्गत की गयी, जिसका भारत का राजपत्र असाधारण में दिनांक 03.08.2021 को प्रकाशन किया गया, जिसका दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र–दि हिन्दुस्तान टाइम्स व दैनिक हिन्दी समाचार–अमर उजाला के अंक दिनांक 19.08.2021 में प्रकाशन किया गया। उक्त के सम्बन्ध में निम्न व्यक्तियों द्वारा कार्यालयः–संक्षम प्राधिकारी/अपर जिलधिकारी(भूमि अध्याप्ति), सं0सं0 मेरठ में प्राप्त कराये गये निम्नलिखित आपत्ति प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण निम्न प्रकार है–

ग्राम का नाम–सकौती, प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.0936 हैक्टेयर , कुल आपत्तियों की संख्या :–09

टिप्पणी:– रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) तथा THE RIGHT TO FAIR COMENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND, ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013 (जिसे आगे उपरोक्त अधिनियम कहा गया है), में दी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही की जाती है।

क्र0सं0	आपत्ति प्राप्ति/प्रस्तुत करने का दिनांक	गाटा न0/सर्वेक्षण संख्या	आपत्ति कर्ता का नाम व पता	आपत्ति सारांश	आपत्तियों का यथासम्भव निम्न प्रकार निस्तारण किया जाता है।
1.	22.08.2021	316	करनसिंह पुत्र सुक्कन सिंह निवासी ग्राम–सकौती टांडा, मिल बाजार, तहसील–सरधना।	विक्रयपत्र व दुकान के टिन नम्बर विषयक अभिलेख संलग्नित करते हुए अधिसूचित सर्वेक्षण संख्या 316 में स्थित अपनी दुकान उक्त अधिग्रहण से प्रभावित होना व कमर्शियल दर से प्रतिकर की मांग की है।	भूमि के वर्तमान मे उपयोग के आधार एवं उपरोक्त अधिनियम–2013 में दी गयी व्यवस्थाओं अनुसार समुचित प्रतिकर दर निर्धारित की जायेगी।
2	22.08.2021	315	फुरकान पुत्र इकरामुददीन नि0 ग्राम–टांडी , तहसील–सरधना, मेरठ।	खसरा संख्या 315 मे स्थित दुकान वर्ष 2017 मे मे रितु सिरोही से क्रय कर मोबाइल रिपेयरिंग कर रहा है। अपनी दुकान की प्रभावित भूमि का कमर्शियल दर 68 हजार रूपये प्रति वर्गमीटर से प्रतिकर की मांग की है।	भूमि के वर्तमान मे उपयोग के आधार एवं उपरोक्त अधिनियम–2013 में दी गयी व्यवस्थाओं अनुसार समुचित प्रतिकर दर निर्धारित की जायेगी।
3.	24.08.2021	308	जयकुमार पुत्र स्व0 श्री महेन्द्र सिंह नि0 ग्राम–सकौती उपरोक्त।	खसरा संख्या 308 स्थित मकान नम्बर 40 को विवादित सम्पत्ति बताते हुए स्वयं को प्रतिकर मे भागीदार बताया तथा एक लाख रूपये मीटर की दर व 5 लाख रूपये मलबे की कीमत दिलायी जाने की मांग की है	भूमि के वर्तमान मे उपयोग के आधार एवं उपरोक्त अधिनियम–2013 में दी गयी व्यवस्थाओं अनुसार समुचित प्रतिकर दर निर्धारित की जायेगी तथा प्रतिकर दावा का अभिनिर्णय घोषणा के बाद ही नियमानुसार निस्तारण किया जायेगा।
4.	03.09.2021	308	पवन कुमार पुत्र स्व0 श्री रामकुमार नि0 सकौती टांडा, तहसील सरधना।	खसरा संख्या 308 स्थित अधिग्रहीत मकान को स्वयं को मालिक बताते हुए अन्य किसी व्यक्ति को मुआवजा नही दिये जाने की मांग की है व उचित मुआवजा की मांग की है।	उपरोक्त क्रम संख्या 2 वर्णित व्यवस्थाओं अनुसार निस्तारण किया जायेगा।
5.	03.09.2021	315, 317, 318 व 314	ओमप्रकाश पुत्र नत्थू सिंह, श्रीमति महेन्द्री पत्नी ओमप्रकाश व श्रीमति सविता पत्नी सतीश निवासी ग्राम सकौती टाडा।	उल्लिखित खसरा नम्बरानों में अपना निवास स्थान बताते हुए भूमि व भवन का अधिग्रहण अवैध व अनैतिक मानते हुए चौडीकरण को अनावश्यक बताया है।	अधिग्रहण की कार्यवाही लोक प्रयोजन के दृष्टिगत की जा रही है। प्रार्थना पत्र में की गयी मांग अनुचित है। अतः मांग निरस्त की जाती है।
6.	14.09.2021	315/317	ओमवीर पुत्र अडीमल निवासी ग्राम–सकौती, तहसील–सरधना.	उक्त खसरा नम्बरानों में स्थित पूरब मुहानी व उत्तर दिशा की ओर स्थित दुकान वरीयत अनुसार मालिक बताते हुए प्रस्तुत शपथपत्र मात्र में मुआवजा की मांग की है।	प्रतिकर दावा का अभिनिर्णय घोषणा के बाद ही नियमानुसार निस्तारण किया जायेगा।

अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)

7.	14.09.2021	315/317	ओमवीर पुत्र अहीनल निवासी ग्राम–सकौती, तहसील–सरधना,	उक्त खसरा नम्बरानो में स्थित पूरब मुहानी व अ[illegible] सिंह की दुकान के दक्षिण दिशा की ओर स्थित दुकान वसीयत अनुसार मालिक बताते हुए प्रस्तुत शपथपत्र मात्र मे मुआवजा की मांग की है।	प्रतिकर दावा का अभिनिर्णय घोषणा के बाद ही नियमानुसार निस्तारण किया जायेगा।
8.	22.09.2021	316	कय्यूम खान पुत्र स्व0 श्री बाबू खा निवासी ग्राम–सकौती टांडा, मिल बाजार, तहसील–सरधना।	उल्लिखित खसरा नम्बर 316 मे स्थित अपना मकान व दुकान व आजीविका का प्रश्न बताते हुए उचित न्याय दिलाने की मांग की है।	अधिग्रहण की कार्यवाही लोक प्रयोजन के दृष्टिगत की जा रही है। प्रार्थना पत्र में की गयी मांग अनुचित है। अतः मांग निरस्त की जाती है।
9.	22.09.2021	316	करनसिंह पुत्र सुक्कन सिंह निवासी ग्राम–सकौती टांडा, मिल बाजार, तहसील–सरधना।	उल्लिखित खसरा नम्बर 316 मे स्थित अपना मकान व दुकान व आजीविका का प्रश्न बताते हुए उचित न्याय दिलाने की मांग की है।	अधिग्रहण की कार्यवाही लोक प्रयोजन के दृष्टिगत की जा रही है। प्रार्थना पत्र में की गयी मांग अनुचित है। अतः मांग निरस्त की जाती है।

अपर जिलाधिकारी (भू०अ०)
संयुक्त संगठन, मेरठ

ANNEXURE-2

कार्यालय–सक्षम प्राधिकारी / अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति),संयुक्त संगठन, मेरठ।

पत्रांक 612 / आठ–अ0जि0अ0 / भू0अ0 / सं0सं0 / मेरठ दिनांक 27-09.2021

विषय :- ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हेतू जनपद व तहसील–मेरठ के ग्राम–सकौती में रेल अधिग्रहण प्रकिया में शुगर मिल के पहुंचमार्ग हेतू अर्जन हेतू प्रस्तावित भूभाग के पॉकेट प्रस्ताव में रेल अधिनियम 1989 की धारा 20ड. के अन्तर्गत अधिसूचना निर्गत कराने के सम्बन्ध में।

महाप्रबन्धक समन्वय,
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

कृपंया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–एम0टी0सी0 / ई0एन0 / एल0ए0 / मेरठ–डिटूर / वोल्यूम–9 दिनांक 21.09.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हेतू जनपद–मेरठ, तहसील–सरधना के ग्राम–सकौती में रेल अधिग्रहण प्रकिया में शुगर मिल के पहुंचमार्ग हेतू अर्जन हेतू प्रस्तावित भूभाग के पॉकेट प्रस्ताव में रेल अधिनियम 1989 यथा संशोधित(2008) की धारा धारा 20क के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.3117(अ) का भारत का राजपत्र असाधारण में कमांक 2891 पर दिनांक 03.08.2021 को प्रकाशित हुआ तथा उक्त अधिसूचना का प्रकाशन हिन्दी समाचार पत्र–अमर उजाला व अंग्रेजी समाचार पत्र–दि हिन्दुस्तान में अंक दिनांक 19 अगस्त, 2021 में प्रकाशित कराया गया। उक्त प्रकाशित अधिसूचना के कम में अधिसूचित सर्वेक्षण संख्या /अधिसूचित क्षेत्रफल के सम्बन्ध में 09 आपत्तियां प्राप्त हुई है, जिनका यथोचित निस्तारण कर दिया गया है तथा आपके विभाग द्वारा जे0एम0एस0 रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है।

अतः उक्त अर्जन प्रस्ताव में रेल अधिनियम 1989 की धारा 20ड. के अन्तर्गत नियमानुसार अधिसूचना निर्गत कराने हेतू प्रस्ताव की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

27/9/21

सक्षम प्राधिकारी /
अपर जिलाधिकारी(भू0अ0)
संयुक्त संगठन, मेरठ।